

राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 21500/2024

कुलदीप पारासर पुत्र श्री राम निवास पारासर, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी बंसीवाले मंदिर के पास, नागौर (राजस्थान) होम गार्ड समन्वय समिति, जयपुर (राजस्थान) की ओर से।

----याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर-302005 (राजस्थान)।
- महानिदेशक एवं कमांडेंट जनरल, होमगार्ड, प्लॉट संख्या 4/1/10-11 सेक्टर-4, विद्याधर नगर, जयपुर-302039 (राजस्थान)
- पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी, जयपुर-302015 (राजस्थान)
- सचिव, कार्मिक विभाग, सचिवालय, जयपुर-302005 (राजस्थान)

....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए : श्री एम.एस. गोदारा।

प्रतिवादीगण के लिए : श्री एनएस राजपुरोहित, एएजी,
के साथ श्री सांवर लाल।

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)27/03/2025

- राजस्थान राज्य में कार्यरत होमगार्ड, इस सामूहिक याचिका के माध्यम से, इस न्यायालय के समक्ष, अन्य बातों के साथ, यह शिकायत लेकर आए हैं कि यद्यपि उन्हें 'स्वयंसेवक' कहा जाता है, परंतु यह लेबल केवल दिखावा मात्र है। वास्तव में, 5 से 20 वर्षों

(तीन महीने के अवकाश के बिना गैर-चक्रानुक्रम आधार पर) की उनकी निरंतर, निर्बाध सेवा से यह स्पष्ट है कि वे अब स्वयंसेवक नहीं, बल्कि वास्तविक रूप से भर्ती किए गए सैनिक हैं। उनका तर्क है कि उनकी प्रास्थिति को उनके द्वारा की जा रही नियमित सेवा की आधारिक वास्तविकताओं के अनुसार मान्यता दी जानी चाहिए।

2. राजस्थान में ग्रुप-सी और डी के 52,453 पदों पर नियुक्ति होनी है, ऐसे में होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता चाहते हैं। वे न्यायिक मध्यक्षेप के माध्यम से प्रतिवादीगण को भर्ती प्रक्रिया में उनके लिए एक विशेष श्रेणी बनाने का आदेश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट की मांग कर रहे हैं।

याचिका में स्थापित मामला

3. याचिकाकर्ता होमगार्ड समन्वय समिति का सदस्य/सचिव है, जिसने यह याचिका दायर की है, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुलग्नक-4 के तहत अधिसूचित या अधिसूचित किए जाने वाले ग्रुप-सी और डी के 52,453 पदों को भरते समय होमगार्डों के लिए आयु में शिथिलता/बोनस/अन्य प्रकार की वरीयता प्रदान करने या कुछ पदों को आरक्षित करने के लिए प्रतिवादीगण को निर्देश देने के लिए; संबंधित नियमों में प्रावधान करके राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित नियमित ग्रुप-सी और डी पदों के विरुद्ध उन्हें कोटा/आरक्षण/शिथिलता देकर होमगार्डों की बेहतरी/नियमितीकरण/उन्नयन के लिए नियम, नीति या दिशानिर्देश तैयार करने के लिए।

4. होमगार्ड्स राज्य में राजस्थान होमगार्ड्स अधिनियम, 1963 और राजस्थान होमगार्ड्स नियम, 1962 द्वारा शासित होते हैं। (यहां ध्यान देने योग्य बात है कि ये नियम

राजस्थान होमगार्ड्स अध्यादेश, 1962 के तहत बनाए गए थे, जिसे उक्त अधिनियम, 1963 द्वारा निरस्त कर दिया गया था)। इसके नियम 17 के तहत, होमगार्ड्स विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, जो ग्रुप डी/एमटीएस/ग्रुप सी और डी कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से किए जाने वाले कर्तव्यों से अधिक हैं, जैसे असामान्य आपदाओं में नागरिक आपात स्थितियों से निपटने के लिए कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करना, परिवहन, संचार, बिजली, पानी और अन्य आवश्यक सेवाओं को संचालित करने के लिए सहायक बचाव, संचार और एम्बुलेंस सेवाओं का केंद्र प्रदान करना, जैसे सामाजिक कल्याण योजना में सहायता करना, महानिदेशक या सरकार द्वारा बदली हुई परिस्थितियों में सौंपे गए अन्य कर्तव्यों का पालन करना।

5. यह अभिवाक् किया गया है कि होमगार्ड्स को दिया जाने वाला मानदेय बेहद अपर्याप्त है। इतना ही नहीं, उन्हें प्रतिदिन 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, जो कि पूर्णतः कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक की ड्यूटी अवधि और दो दिन के साप्ताहिक अवकाश से भी अधिक है। होमगार्ड्स के लिए कोई अवकाश या छुट्टी नहीं है। कई अन्य राज्यों ने होमगार्ड्स की बेहतरी के लिए उन्हें आरक्षण, आयु सीमा में शिथिलता, और खुली भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और चयनित होने के लिए बोनस अंक प्रदान करने जैसे प्रावधान किए हैं। राजस्थान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

6. इससे पहले, याचिकाकर्ता ने समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग करते हुए इस न्यायालय में रिट याचिका संख्या 3095/2020 भी दायर की थी। इसे इस सीमा तक

अनुमति दी गई थी कि याचिकाकर्ता को कांस्टेबल के पद पर लागू न्यूनतम वेतनमान के अनुसार वेतन देने का निर्देश दिया गया था। हालाँकि, एक अंतर-न्यायालयीय अपील SAW संख्या 234/2024 में खंडपीठ के दिनांक 25.10.2024 के आदेश द्वारा इसके प्रभाव और प्रवर्तन पर रोक लगा दी गई है।

याचिका का विरोध करने के लिए जवाब में की गई प्रतिरक्षा

7. याचिका को खारिज करने की मांग करने वाली प्रारंभिक आपत्तियां, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार हैं:

- (i) इस न्यायालय एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 11085/2022 हरि शंकर आचार्य एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य में दिनांक 27.01.2025 को एक आदेश पारित किया जा चुका है, जिसमें राज्य सरकार को उस मामले में याचिकाकर्ता-होमगार्ड्स की नियमित ड्यूटी, वेतन और अन्य दावों से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु एक समिति गठित करने का निर्देश दिया गया था। राज्य सरकार ने पहले ही उस आदेश का पालन करते हुए एक समिति गठित कर दी है। यदि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को कोई शिकायत है, तो वह उक्त समिति से संपर्क कर सकता है और इस मामले में किसी अलग निर्देश की आवश्यकता नहीं है।
- (ii) राजस्थान राज्य ने होमगार्ड्स की सेवा शर्तों में सुधार के लिए विभिन्न प्रशासनिक आदेश जारी किए हैं, जिनकी भूमिका लंबे समय से पूरी तरह स्वैच्छिक और कानून प्रवर्तन और अन्य सरकारी गतिविधियों के समर्थन के

रूप में पहचानी जाती रही है। हालाँकि, उनकी नियुक्ति नियमित सरकारी नियोजन से मौलिक रूप से भिन्न है, क्योंकि यह नियमित कर्मचारियों के साथ समान सेवा नियमों या लाभों के लिए स्थायी नियोजन संबंध या हकदारी स्थापित नहीं करता है। आरक्षण नीतियों और भर्ती मानदंडों का निर्धारण पूरी तरह से राज्य के विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है, जो सामाजिक-आर्थिक, प्रशासनिक और विधायी विचारों के साथ निर्णयों को संरेखित करता है। भर्ती में आरक्षण या बोनस अंकों का प्रावधान संवैधानिक और विधायी ढाँचों में निहित है जिसका उद्देश्य भूतकाल में हुए अन्याय का निवारण करना और सावधानीपूर्वक मूल्यांकित सामाजिक-आर्थिक आकलन के माध्यम से हाशिए पर स्थिति समुदायों का उत्थान करना है। ऐसे उपायों का होम गार्ड्स तक विस्तार, जो स्वेच्छा से सेवा करते हैं तथा जो किसी प्रकार के व्यवस्थित अलाभ का सामना नहीं करते, इन नीतियों के उद्देश्य को कमजोर कर देगा और लोक नियोजन में निष्पक्षता एवं योग्यता के सिद्धांतों को बाधित करेगा। होमगार्ड्स यह दावा कि होमगार्ड्स को आरक्षण या बोनस अंक न मिलने के कारण अन्याय सहना पड़ा है, निराधार है, क्योंकि उनकी सेवा की स्वैच्छिक प्रकृति और संबंधित मानदेय के बारे में नामांकन के समय ही स्पष्ट रूप से बताया जाता है, और मानदेय में समय-समय पर वृद्धि जैसे कल्याणकारी उपाय भी लागू किए गए हैं। नियमित भर्ती में उन्हें ऐसे लाभ प्रदान करने का न केवल कानूनी और तथ्यात्मक आधार

का अभाव होगा, बल्कि यह संवैधानिक सिद्धांतों, सामाजिक आवश्यकताओं और प्रशासनिक प्राथमिकताओं के विपरीत एक अनिश्चित मिसाल भी स्थापित करेगा।

गुणावगुणों पर प्रतिरक्षा

8. गुणावगुण के आधार पर, प्रतिवादीगण ने अपने उत्तर में अभिवाक् किया है कि होमगार्ड विभाग द्वारा ग्रुप-सी या ग्रुप-डी की कोई रिक्तियाँ घोषित नहीं की गई हैं। होमगार्ड्स की सेवा स्वैच्छिक है और इसकी तुलना नियमित सरकारी कर्मचारियों या उनकी सेवा की प्रकृति से नहीं की जा सकती। होमगार्ड स्वयंसेवकों को दिए जाने वाले मानदेय में समय-समय पर संशोधन किया गया है। वर्तमान में, उन्हें दिया जाने वाला मानदेय निम्नानुसार है:

(क) होमगार्ड को सामान्यतः प्रतिदिन आठ घंटे के लिए तैनात किया जाता है।

(ख) आठ घंटे की ड्यूटी के लिए उन्हें 877/- रुपये प्रतिदिन मानदेय दिया जाता है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में तैनात होने पर उन्हें 747/- रुपये प्रतिदिन मानदेय दिया जाता है।

(ग) वर्दी भत्ता अधिकतम 75 रुपये प्रतिमाह।

(घ) यदि उन्हें उनके निवास स्थान से 8 किलोमीटर से अधिक दूरी पर तैनात किया जाता है तो उन्हें 20 रुपये प्रतिदिन साइकिल भत्ता देय है।

8.1. होमगार्ड्स को प्रदान किया जाने वाला मानदेय पर्याप्त है। यह प्रतिपादित है कि 11.08.2023 को राज्य सरकार ने राजस्थान होमगार्ड्स नियम, 1962 के नियम 8 में

संशोधन कर होमगार्ड्स की नवीकरण अवधि 15 वर्ष तक बढ़ा दी थी। इससे पहले, 01.06.2021 को राज्य सरकार ने होमगार्ड के सदस्यों की आयु सीमा 55 से बढ़ाकर 58 वर्ष कर दी थी। समय-समय पर होमगार्ड्स के मानदेय में भी वृद्धि की जाती है। याचिकाकर्ता द्वारा संदर्भित किये गए और हवाला दिए गए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों से संबंधित आदेश/निर्णय राजस्थान राज्य में लागू नहीं किए जा सकते क्योंकि तथ्य और परिस्थितियाँ तथा नियम की स्थिति भिन्न हैं और उनमें कोई समानता नहीं है।

चर्चा और विश्लेषण

9. उपर्युक्त प्रतिद्वंदी अभिमत के आलोक में, मैं अब अपने कारणों और चर्चा को इसके पश्चात्त्वर्ती भाग में अभिलिखित करके इस पर विचार अग्रसर करूंगा।

10. सबसे पहले, यह ध्यान दिया जा सकता है कि याचिका में होमगार्ड्स द्वारा प्रदान की गई सेवाओं (समूह सी या डी?) की यथावत् प्रकृति से संबंधित विशिष्ट विवरणों के संबंध में स्पष्टता का अभाव है, साथ ही उन लोगों द्वारा प्रदान की गई निर्बाध सेवा अवधि के बारे में भी जिनकी ओर से याचिका दायर की गई है (हालांकि यह दावा किया गया है कि उनमें से कई 10 से 20 वर्षों तक बिना किसी खंडता के लगातार सेवा में रहे हैं)। याचिका दायर करने के बाद, इस गलती का एहसास होने पर, याचिकाकर्ता ने 19.01.2025 को एक अतिरिक्त शपथ पत्र, कुछ उदाहरणात्मक दस्तावेजों के साथ अभिलेख पर रखा है, यह दिखाने के लिए कि कुछ होमगार्ड बिना किसी खंडता के कई वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं। दिनांक 19.01.2025 के शपथ पत्र के सुसंगत पैरा नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:-

“अतिरिक्त शपथ पत्र दिनांक 19.01.2025:

2. माननीय उच्च न्यायालय के परिशीलन हेतु यह प्रस्तुत करना सुसंगत है कि होमगार्ड्स यूनियन के कुछ सदस्य 20 वर्षों से अधिक समय से और कई सदस्य 10 वर्षों से अधिक समय से विभिन्न विभागों में ग्रुप-सी/संवर्ग के पदों पर ग्रुप-सी कर्मचारियों के समान कार्य कर रहे हैं। बल्कि यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार का कोई भी विभाग ऐसा नहीं बचा है जहाँ होमगार्ड्स ग्रुप-सी कर्मचारियों के समान कार्य न कर रहे हों। माननीय न्यायालय के परिशीलन हेतु कुछ आदेश अभिलेख पर रखे जा रहे हैं जिनके द्वारा ग्रुप-सी पदों के लिए होमगार्ड्स की सेवाओं का उपयोग किया जाता है।
3. जेल विभाग द्वारा पत्र दिनांक 30.05.2024 के अनुसार प्रहरी के पद पर होमगार्ड की सेवाओं का उपयोग, गृह रक्षा विभाग द्वारा पत्र दिनांक 10.08.2023 के अनुसार आरक्षी अर्थात् कांस्टेबल के पद पर, गृह विभाग द्वारा पत्र दिनांक 16.04.2024 के अनुसार कांस्टेबल के पद पर, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा पत्र दिनांक 04.11.2024 के अनुसार चालक के पद पर, पुलिस विभाग द्वारा पत्र दिनांक 27.12.2024 के अनुसार रात्रि गश्त और यातायात प्रबंधन के लिए कांस्टेबल के रूप में होमगार्ड की सेवाओं का उपयोग। होमगार्ड विभाग पत्र दिनांक 31.12.2024 के अनुसार ड्राइवर के पद पर होमगार्डों के कर्तव्यों का उपयोग कर रहा है और आगे वन विभाग भी पत्र दिनांक 05.04.2024 के अनुसार ड्राइवर के पद पर होमगार्डों की सेवाओं का उपयोग कर रहा है और इससे पहले एक बार एक होमगार्ड को आदेश दिनांक 25.03.1992 के अनुसार पुलिस कांस्टेबल के पद पर सीधे नियुक्त किया गया था। उपरोक्त के मद्देनजर यह सुस्पष्ट है कि लगभग सभी विभागों में होमगार्ड कांस्टेबल, प्रहरी, ड्राइवर के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं जो ग्रुप-सी पद की श्रेणी में आता है। इन आदेशों की प्रतियां दिनांक 30.05.2024, 10.08.2023, 16.04.2024, 04.11.2024, 27.12.2024 ,31.12.2024, 05.04.2024 एवं 25.03.1992 को

माननीय उच्च न्यायालय के परिशीलन हेतु अनुलग्नक-6 के रूप में सामूहिक रूप से संलग्न किया गया है।

4. यह सादर निवेदन है कि ग्रुप-सी के पदों के अतिरिक्त, ग्रुप-डी के पदों पर भी होम गार्ड्स की सेवाएँ लगभग प्रत्येक विभाग द्वारा कार्मिक विभाग से वित्त विभाग की विशेष स्वीकृति प्राप्त कर ली जाती हैं। माननीय न्यायालय के दिनांक 30.12.2023, 02.02.2024, 13.02.2024 एवं 29.04.2024 के पत्र, इस न्यायालय के परिशीलन हेतु संलग्न हैं तथा अनुलग्नक-7 के रूप में अंकित हैं।

5. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह सुस्पष्ट है कि होम गार्ड्स की सेवाएँ लगभग प्रत्येक विभाग द्वारा ग्रुप-डी के रिक्त पदों के साथ-साथ ग्रुप-सी के कुछ पदों जैसे प्रहरी, वन रक्षक, कांस्टेबल इत्यादि के लिए ली जाती हैं, लेकिन न तो उन्हें समान पद के कर्मचारियों के बराबर वेतन दिया जाता है और न ही उन्हें नियमित कर्मचारियों के लिए लागू कोई प्रसुविधाएं या शिथिलता या अन्य विशेषाधिकार जैसे वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि, नियमित वेतनमान, नियमितीकरण, अवकाश नकदीकरण और विभिन्न प्रकार की छुट्टियां दी जाती हैं, ऐसे में प्रतिवादीगण द्वारा होम गार्ड्स की देखभाल न करना या उनके साथ उस पद के कर्मचारियों से समान व्यवहार न करना, जिस पद के लिए वे कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं, समान के साथ असमान व्यवहार करने के समान है।

6. होम गार्ड्स को उन सभी प्रसुविधाओं से वंचित किया जा रहा है जो नियमित कर्मचारियों के लिए लागू हैं, केवल इस आधार पर कि उनकी सेवाओं को स्वयंसेवी सेवा माना जाता है, लेकिन शुरू में यह स्वयंसेवा की श्रेणी में आ सकता है जब नियमित कर्मचारियों द्वारा अपने नियमित कर्तव्यों के अलावा ये कर्तव्य किए जाते थे, लेकिन आजकल बेरोजगारी की प्रमुख

समस्या को देखते हुए, शिक्षित युवाओं को 1962 के नियम 17 के तहत प्रदान किए गए कार्य घंटों की कोई सीमा और कर्तव्यों की तरह की कोई सीमा के बिना होमगार्ड के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए लगाया जाता है।

7. होमगार्ड जैसे बेरोज़गार युवाओं के पास प्रतिवादीगण के अधीन होमगार्ड/स्वयंसेवक के रूप में सेवा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन राज्य सरकार एक आदर्श नियोक्ता होने के नाते होमगार्ड के मामले/मुद्दे पर विचार करने में विफल रही, जिसमें उनकी सेवाओं को नियमित करने या नियमित कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ का विस्तार करना शामिल है। आज के परिदृश्य में होम गार्ड्स के लिए उन्हें दी जाने वाली छोटी राशि से गुज़ारा करना बहुत मुश्किल है। इसलिए, सरकार को एक आदर्श नियोक्ता के रूप में कार्य करना चाहिए और उन्हें किसी भी प्रकार का लाभ प्रदान करना चाहिए, जैसे कि सीधी भर्ती में ग्रुप-डी के पदों के चयन में उन्हें आरक्षण देना, चयन में प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित प्रकार की वरीयता/बोनस प्रदान करना या नियमित कर्मचारी को मिलने वाले वेतनमान के साथ कैडर या पद का न्यूनतम भुगतान करना।

यद्यपि अतिरिक्त शपथ पत्र में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह कहा गया है कि होमगार्ड्स यूनियन के सदस्य 20 वर्षों से अधिक समय से कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं तथा कई सदस्य विभिन्न विभागों में ग्रुप-सी/ कैडर के पद पर ग्रुप-सी कर्मचारियों के समान 10 वर्षों से अधिक समय से कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, परन्तु एक बार फिर कोई विशिष्ट विवरण नहीं दिया गया है।

11. याचिकाकर्ता द्वारा दायर उपरोक्त अतिरिक्त शपथ पत्र का परिशीलन करने के बाद, इस न्यायालय ने दिनांक 07.03.2025 के एक आदेश द्वारा प्रतिवादीगण को निर्देश

दिया कि वे उसमें उल्लिखित कुछ होमगार्डों की तैनाती की मूल तिथियां प्रदान करते हुए

अपना उत्तर प्रस्तुत करें। तदनुसार, निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

आदेश दिनांक 07.03.2025

" इस न्यायालय की पूर्व कार्रवाई की निरंतरता में आंशिक रूप से
बहस सुनी गई।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मेरा ध्यान याचिकाकर्ता द्वारा
दायर 19.01.2025 के अतिरिक्त शपथ पत्र और विशेष रूप से उसके साथ
संलग्न अनुलग्नक 6 की ओर आकर्षित किया है, जिसमें दर्शाया गया है कि
समय-समय पर पारित विभिन्न आदेशों के तहत, होमगार्ड्स की सेवाएँ,
जिनका उपयोग चतुर्थ श्रेणी के पदों जैसे चपरासी और/या अन्य वैकल्पिक
पदों पर किया जा रहा है, वर्ष-दर-वर्ष बढ़ाई जा रही हैं। हालाँकि, यह स्पष्ट
नहीं है कि विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रूप में उनकी मूल
तैनाती कब हुई थी।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में
उनकी तैनाती की मूल तिथियों का पता लगाने के लिए समय चाहते हैं।

ऐसा किया जा सकता है।

इसी प्रकार, प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता
भी प्रतिवादीगण से निर्देश प्राप्त करें और विभिन्न विभागों में अनुलग्नक 6 में
उल्लिखित होमगार्ड्स का विवरण देते हुए सक्षम प्राधिकारी से एक अतिरिक्त
शपथ पत्र दायर करें, जिसमें उनकी मूल तैनाती की विशिष्ट तिथियां दी गई हों,
जिसके कारण समय-समय पर विस्तार आदेश पारित किए गए।

इसे 11.03.2025 हेतु पोस्ट करें।"

12. इस संबंध में, डिप्टी कमांडेंट द्वारा अभिपुष्ट एक शपथ पत्र दिनांक 18.03.2025 को दायर किया गया, जिसमें यह अभिसाक्ष्य दिया गया कि दिनांक 13.08.2018 के आदेश द्वारा होमगार्ड के रूप में तैनात 42 व्यक्तियों में से 12 व्यक्ति निरंतर तैनात हैं और दिनांक 01.09.2018 से 30.09.2018 की अवधि के लिए तैनात 53 होमगार्ड में से 27 स्वयंसेवक अभी भी तैनात हैं। इसका प्रासंगिक अंश निम्नानुसार है:-

अतिरिक्त शपथ पत्र दिनांक 18.03.2025:-

2. यह है कि माननीय न्यायालय ने दिनांक 17.01.2025 के आदेश के तहत नोटिस जारी किए हैं और उत्तरदाता प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को सुसंगत दस्तावेज अभिलेख पर रखने और जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। उत्तरदाता प्रतिवादीगण ने दिनांक 17.01.2025 के आदेश के अनुसार अपना जवाब और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं। इसके बाद मामले की कई बार सुनवाई हुई और लगातार सुनवाई में माननीय न्यायालय ने उत्तरदाता प्रतिवादीगण को निर्देश दिया है कि वे विभाग से अनुदेश प्राप्त करें और अनुलग्नक-6 में उल्लिखित होम गार्ड्स का विवरण देकर सक्षम प्राधिकारी का अतिरिक्त शपथ पत्र दाखिल करें। माननीय न्यायालय ने दिनांक 07.03.2025 के आदेश के तहत अनुलग्नक-6 में उल्लिखित व्यक्तियों की मूल तैनाती का विशिष्ट विवरण देने का निर्देश दिया था। आदेश दिनांक 07.03.2025 के अनुपालन में, प्रतिवादीगण सादर प्रस्तुत करते हैं कि अनुलग्नक-6 में उल्लिखित व्यक्ति एवं समान व्यक्ति, 30.08.2018 को कमांडेंट होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र नागौर के कार्यालय में शुरूआत से तैनात हैं। आदेश दिनांक 30.08.2018 की सत्य एवं सही प्रति संलग्न है तथा अनुलग्नक-AA/1 के रूप में अंकित है। आदेश दिनांक

13 अगस्त, 2018 द्वारा तैनात कुल 42 व्यक्तियों में से केवल 12 व्यक्ति ही निरंतर तैनात हैं। 12 व्यक्तियों के तैनात क्षेत्रों का विवरण इस प्रकार है-

आदेश 2025	पुरानी बेल्ट संख्या	नई बेल्ट संख्या
	48	542
	671	564
	116	436
	419	427
	409	472
		164
		179

3. इसी प्रकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य पीठ जोधपुर में भी विद्वान महापंजीयक के अनुरोध पर होमगार्ड तैनात किए गए हैं। यह तैनाती 31.08.2018 के आदेश द्वारा की गई थी और 01.09.2018 से 30.09.2018 तक 53 होमगार्ड तैनात किए गए थे। इन 53 स्वयंसेवकों में से 27 अभी भी तैनात थे।

आदेश 2018	बेल्ट संख्या
	1, 2, 7, 42, 208, 229, 254, 305, 310, 411, 459, 469
	547, 615, 669, 717, 721, 779, 797, 819, 859, 863, 886, 1068, 1082, 1227, 1406

31.08.2018 के आदेश की सत्य और सही प्रति यहाँ संलग्न है और अनुलग्नक-AA/2 के रूप में अंकित है।

हालाँकि, चक्रानुक्रम आधार पर तैनात अन्य होम गार्ड्स को अन्य कार्यालयों में काम दिया गया था। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने योग्य तथ्य यह है कि होमगार्ड आमतौर पर चक्रानुक्रम आधार पर तैनात किए जाते हैं और केवल अपवाद हैं कि विशेष होमगार्ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विरुद्ध लंबी अवधि के लिए या एक ही स्थान पर लगातार तैनात होते हैं,

इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा याचिकाकर्ता और उनके समान व्यक्तियों की तैनाती के लिए बोनस अंक देने का दावा, व्यक्तियों के सीमित समूह के लिए किया गया अनुरोध है, जिसे इन विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में प्रदान नहीं किया जा सकता, जहां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रूप में तैनात होमगार्ड चक्रानुक्रम आधार पर जारी रखे जाते हैं और यहां तक कि उत्तरदाता प्रतिवादीगण पर किसी विशिष्ट कार्यालय में या लंबी निरंतर अवधि के लिए किसी विशिष्ट होमगार्ड को जारी रखने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। इसी प्रकार, यह भी एक तथ्य है कि होमगार्ड उत्तरदाता प्रतिवादीगण के साथ स्वयंसेवकों के रूप में नामांकित हैं, उन्हें किसी विशेष कार्यालय में किसी विशेष पद पर निरंतर ड्यूटी नहीं दी जाती है इसलिए, रिट याचिका का मूल आधार गुणावगुण से रहित है और इसके परिणामस्वरूप यह अवक्षयण योग्य है, यह सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया जाए।

4. ससम्मान यह निवेदन किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित न्यायिक दृष्टांत के अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा किया गया दावा अब अनिर्णीत विषय नहीं है और यह स्थापित है कि होमगार्ड की सेवाएँ एक स्वयंसेवी सेवा है जिसे स्वयंसेवक एक स्वयंसेवक के रूप में लोक सेवा के रूप में प्रदान करते हैं, इसलिए स्वयंसेवक किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते, इसके अलावा, स्वयंसेवी सेवाओं से कोई विनिर्दिष्ट लाभ प्राप्त करने का कानूनी अधिकार भी नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा किया गया दावा होमगार्ड स्वयंसेवकों की मूल अवधारणा के विरुद्ध है, इसलिए, याचिकाकर्ता की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाना चाहिए और परिणामस्वरूप रिट याचिका खारिज की जानी चाहिए।

5. पूरे सम्मान के साथ यह प्रस्तुत करना उचित है कि याचिकाकर्ता अभिकथित रूप से किसी एसोसिएशन का सदस्य होने का उल्लेख करके

होमगार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहा है, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा उल्लिखित एसोसिएशन उत्तरदाता प्रतिवादी विभाग के अनुसार मान्यता प्राप्त एसोसिएशन नहीं है। याचिकाकर्ता ऐसा कोई प्राधिकरण प्रस्तुत करने में भी विफल रहा। यदि याचिकाकर्ता को उत्तरदाता प्रतिवादी यानी होमगार्ड विभाग के विरुद्ध कोई शिकायत उत्पन्न होती है, तो आनुकल्पिक उपचार उपलब्ध है। होमगार्ड विभाग ने होमगार्ड स्वयंसेवकों से संबंधित मुद्दों और होमगार्ड स्वयंसेवकों के कल्याण के लिए शिकायत प्रतितोषण समिति का गठन किया है। कल्याण निधि समिति, शिकायत प्रतितोषण समिति होमगार्ड स्वयंसेवकों से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए समय-समय पर बैठकें आयोजित करती है। प्रत्येक जिले के लिए नामित स्वयंसेवक हैं जो राज्य स्तरीय कमांडेंट सम्मेलन में होमगार्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका दायर करना होमगार्ड विभाग द्वारा प्रदान की गई शिकायत प्रतितोषण तंत्र की प्रक्रिया को पार कर रहा है। वर्तमान रिट याचिका में भी कोई दम नहीं इसलिए यह खारिज किये जाने योग्य है।

13. शपथ पत्रों को देखने के बाद, यह पता चलता है कि होमगार्ड के दो समूह हैं, यानी वे जिनकी ड्यूटी चक्रानुक्रम के आधार पर होती है और दूसरे वे जो कहने को तो स्वैच्छिक सेवा प्रदान करते हैं, लेकिन वास्तव में वे अपनी तैनाती के बाद से ही गैर-चक्रीय ड्यूटी पर हैं और निर्बाध रूप से काम करते रहते हैं। मनमाने ढंग से ड्यूटी पर रोटेट किए जाने की शिकायत के संबंध में, जैसा कि एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 11085/2022 में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, जो मामला पहले से ही इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ के संज्ञान में है। अतएव, मैं स्वयं को पश्चात्कथन तक सीमित रखूंगा अर्थात् वे जो सतत् रूप से, बिना किसी खंडता के, गैर-चक्रीय ड्यूटी पर वर्षों से तैनात है।

14. 5 वर्ष या एक दशक या उससे भी अधिक की निरंतर अवधि के लिए बिना किसी खंडता के तैनात किए गए लोगों के संदर्भ में, यथास्थिति, *पश्चिम बंगाल राज्य बनाम पंथा चटर्जी* में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संदर्भ लिया जा सकता है, जहां अंशकालिक सीमा विंग होम गार्ड (बीडब्ल्यूएचजी) के एक समूह से संबंधित एक समान मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की ओर रूख किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि स्थायी बीडब्ल्यूएचजी और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) कर्मियों के समान कर्तव्यों का पालन करने के बावजूद, उन्हें सेवा की शर्तों, वेतन और लाभों के मामले में भेदभाव का शिकार होना पड़ा। मूल रूप से एक स्वैच्छिक योजना के तहत नियुक्त इन अंशकालिक होम गार्डों ने तर्क दिया कि उनकी लगातार तैनाती के लंबे वर्षों ने उनकी सेवा की स्वैच्छिक प्रकृति को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया है। उच्च न्यायालय ने तथ्यों और सुसंगत सरकारी आदेशों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद बीडब्ल्यूएचजी का पक्ष लिया और निष्कर्ष निकाला कि अंशकालिक गार्ड वास्तव में पश्चिम बंगाल राज्य के साथ मालिक और सेवक के रिश्ते के तहत काम कर रहे थे। यह माना गया कि यद्यपि योजना में शुरू में प्रत्येक तीन महीने में चक्रानुक्रम के साथ अल्पकालिक स्वैच्छिक सेवा की परिकल्पना की गई थी, लेकिन व्यवहार में, वही व्यक्ति बिना किसी चक्रानुक्रम के एक दशक से अधिक समय तक लगातार कार्यरत रहे, जो योजना के आशयित परिकल्पना के विपरीत था।

14.1. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अंशकालिक और स्थायी बीडब्ल्यूएचजी द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति एक जैसी थी, उनके जोखिम और कार्य परिस्थितियाँ समान थीं, और उनके बीच अंतर करने का कोई ठोस आधार नहीं था।

परिणामस्वरूप, न्यायालय ने माना कि "समान कार्य के लिए समान वेतन" का सिद्धांत, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत मान्यता प्राप्त एक संवैधानिक आदेश है, पूरी तरह लागू होता है। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि अंशकालिक बीडब्ल्यूएचजी को उनके स्थायी समकक्षों के समान वेतनमान, लाभ और सेवा शर्तें प्रदान की जाएँ। इसमें वेतन का बकाया, वेतन निर्धारण, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति लाभ, भत्ते और अवकाश के लिए पात्रता शामिल थी।

14.2. जब पश्चिम बंगाल राज्य ने इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, तो यह दोहराया गया कि बीडब्ल्यूएचजी एक स्वैच्छिक संगठन का हिस्सा थे और पश्चिम बंगाल होम गार्ड्स अधिनियम के तहत कार्यरत थे। इस प्रकार, उनकी तैनाती से नियमित सेवा के अधिकार नहीं बनते। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि एक बार बिना खंडता के लगातार सेवा के कारण नियुक्ति की स्वैच्छिक प्रकृति खत्म हो गई, जिसके याचिकाकर्ता पूर्ण नियोजन लाभ के हकदार थे। सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जिन परिस्थितियों में होम गार्ड्स ने काम किया, उनके लिए किसी भी पिछले व्यवसाय को फिर से शुरू करना असंभव था, और उन्हें केवल स्वयंसेवकों की तरह बरता जाना मनमाना और अन्यायपूर्ण दोनों होगा। इसके अलावा, न्यायालय ने बल देकर कहा कि केंद्र सरकार द्वारा तैयार की गई मूल योजना के बावजूद, वह इसके कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी करने में विफल रही है, और इस प्रकार याचिकाकर्ताओं की सेवा को नियमित करने से जुड़े वित्तीय बोझ के लिए अपनी अंतिम जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है।

14.3. सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से सहमति व्यक्त की कि बीडब्ल्यूएचजी की तैनाती अब आकस्मिक या स्वैच्छिक प्रकृति की नहीं रही, बल्कि वस्तुतः स्थायी रोज़गार की स्थिति बन गई है, और इसलिए, उन्हें पूर्णकालिक बीडब्ल्यूएचजी से अलग नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने इस सिद्धांत को दोहराया कि समान परिस्थितियों में समान कार्य के लिए समान वेतन और सेवा लाभ अनिवार्य हैं।

14.4. अपनी राय की पुष्टि करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कई पूर्व विनिर्णयों का भी उल्लेख किया, जिनमें समान सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे, जिनमें "समान कार्य के लिए समान वेतन" को एक संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता देना और केवल प्रारंभिक संविदात्मक शर्तों के आधार पर लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों को आकस्मिक कर्मचारी मानने के प्रयासों को अस्वीकार करना शामिल है। *जयपाल बनाम हरियाणा राज्य*², *धीरेंद्र चमोली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*³, और *दैनिक दर नैमित्तिक श्रमिक बनाम भारत संघ*⁴ जैसे निर्णय। इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित किया गया कि होमगार्डों के अधिकारों का निर्धारण उनके द्वारा किए गए कार्य के सार से होता है, न कि उनकी नियुक्ति से जुड़े लेबल से।

15. इसी प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य पश्चात्कर्ती निर्णय, अर्थात् *भारत संघ बनाम पारुल देबनार्थ*⁵ (एक बार फिर कलकत्ता उच्च न्यायालय से उद्धृत) में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के होमगार्डों से संबंधित मामला, जिन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 12 से 23 वर्षों तक सेवा की थी, अपनी सेवाओं के नियमितीकरण और समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग की थी। होम गार्ड्स ने नियमितीकरण और नियमित

कर्मचारियों के समान वेतन की मांग करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट), कलकत्ता पीठ के समक्ष आवेदन दायर किए।

15.1. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने भारत संघ को स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए छह महीने के भीतर नियमितीकरण हेतु एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया। संघ ने इसे कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसने सर्वोच्च न्यायालय के *पश्चिम बंगाल राज्य बनाम पंथा चटर्जी*, सुप्रा में दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए कैट के आदेश को बरकरार रखा। भारत संघ ने उस समय एक योजना बनाई थी और होमगार्डों के लिए केवल 20% रिक्तियों को आरक्षित किया था, जिन्हें चरणों में आमेलित किया जाना था। इससे व्यथित होकर, होमगार्डों ने उक्त योजना को चुनौती दी। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने योजना को बरकरार रखा, लेकिन खंडपीठ ने इसे पंथा चटर्जी, पूर्वोक्त में प्रतिपादित अनुपात के अनुरूप न पाते हुए रद्द कर दिया और उसके अनुरूप कई निर्देश दिए।

15.2. इसके बाद संघ ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में खंडपीठ के फैसले को बरकरार रखा। उसने कहा कि सभी पात्र होम गार्ड्स को, न कि केवल 20% को, एक साथ समान रूप से आमेलित किया जाना चाहिए, न कि चरणों में। उनका नियमितीकरण या आमेलन नई नियुक्तियाँ नहीं माना जाएगा। इसलिए इसे किसी आरक्षण के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

16. हस्तगत मामले पर लौटते हुए, दिनांक 25.03.2025 को सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय के संज्ञान में भारत संघ का दिनांक

04.07.2024 का एक परिपत्र लाया, जो सुसंगत होने के कारण नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"04.07.2024

सेवा में,

मुख्य सचिव/प्रशासक

सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

विषय: सरकारी सेवाओं में भर्ती हेतु नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड स्वयंसेवकों को वरीयता देने के संबंध में।

महोदय,

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या

14034/5/82-स्था.(डी) दिनांक 5.11.1983 द्वारा सरकारी सेवाओं में भर्ती में होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को वेटेज/वरीयता के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे।

2. इस मंत्रालय ने पत्र संख्या VI-31011/1/81-DGCD (HG) दिनांक 17 जनवरी, 1984 और 06 फरवरी, 2023 (प्रति संलग्न) के माध्यम से उपरोक्त संदर्भित पत्र को सभी राज्य सरकारों को इस अनुरोध के साथ भेजा था कि वे इस मामले में समान निर्देश जारी करने पर विचार करें।

3. उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनजर, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध है कि वे सरकारी सेवाओं में भर्ती में होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को वेटेज/वरीयता देने पर विचार करें और तदनुसार समूह 'ग' और 'घ' पदों के भर्ती नियमों में संशोधन करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

एसडी/-

(विवेक श्रीवास्तव, आईपीएस)

डीजी-एफएस, सीडी और एचजी"

इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 25.03.2025 के आदेश के अनुसार, जो इस प्रकार है, प्रतिवादीगण को इस पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है:-

"आदेश

25.03.2025

मेरा ध्यान याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 04.07.2024 को जारी परिपत्र की ओर आकृष्ट किया गया है, जिसे यू.ओ.आई. द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संबोधित करते हुए जारी किया गया है, जिसमें सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे सरकारी सेवाओं में भर्ती में होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को वेटेज/वरीयता देने पर विचार करें और तदनुसार ग्रुप 'सी' और 'डी' पदों के भर्ती नियमों में संशोधन करें, इसकी प्रतिलिपि अनुलग्नक ए के रूप में अभिलेख पर नहीं ली गई है।

प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता से न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्न पर, उन्होंने उक्त परिपत्र पर विचार करने हेतु लिए गए प्रशासनिक निर्णय, यदि कोई हो, के संबंध में निर्देश प्राप्त करने के लिए समय माँगा है।

यदि कोई निर्णय नहीं लिया गया है, तो प्रतिवादीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उक्त परिपत्र पर उचित विचार करेंगे, जिसके संबंध में भी प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता निर्देश प्राप्त करेंगे।

मामले पर समय-समय पर पूर्ववर्ती सुनवाई में विस्तार से सुनवाई हो चुकी है, अतः प्रारंभिक आदेश जारी किया जाता है। याचिका स्वीकार की जाती है और दिनांक 11.12.2024 की अधिसूचना (अनुलग्नक-4) में निर्धारित समय-सीमा के आलोक में इसकी तात्कालिकता को देखते हुए, इसे अंतिम सुनवाई के लिए 27.03.2025 को सूचीबद्ध किया जाता है।

अभिवचन पूर्ण हो चुके हैं।

पूरक वाद सूची में सुनवाई के भाग के रूप में दिखाया जाए।”

17. गृह मंत्रालय, भारत संघ द्वारा दिनांक 04.07.2024 का परिपत्र सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों को संबोधित किया गया है जिसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि वे सरकारी सेवाओं में भर्ती में होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को वेटेज/वरीयता देने पर विचार करें और क्रमशः समूह-सी और डी पदों के भर्ती नियमों में संशोधन करें। इस पीठ द्वारा पारित दिनांक 25.03.2025 के आदेश से पता चलता है कि न्यायालय के प्रश्न पर प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने उपर्युक्त परिपत्र पर विचार करने के लिए लिए गए प्रशासनिक निर्णय, यदि कोई हो, के संबंध में निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा था और न्यायालय ने यह भी देखा था कि यदि कोई निर्णय नहीं लिया गया है, तो प्रतिवादीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उक्त परिपत्र पर उचित विचार करेंगे, जिसके लिए भी, प्रतिवादीगण के विद्वान वकील निर्देश मांगेंगे।

18. तत्पश्चात, गृह रक्षा निदेशालय, राजस्थान का दिनांक 27.03.2025 का एक पत्र अभिलेख पर लिया गया, जिसमें दर्शाया गया है कि भारत सरकार के दिनांक

04.07.2024 के परिपत्र पर राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित कार्रवाई प्रगति पर है। दिनांक

27.03.2025 के पत्र का अंग्रेजी में अनुवादित संस्करण इस प्रकार है:

निदेशालय, होमगार्ड्स राजस्थान, जयपुर

फोन: 0141-2612591, फैक्स: 0141-2612592

ईमेल gbrlegal.hghq.rj@RAJASTHAN.GOV.IN

वेबसाइट: <http://rajasthanhomeguards.gov.in/>

क्र.सं.- एचएमएचक्यू/विधिका/7(262)2024/ दिनांक

-27.03.2025

श्री रवि व्यास,

प्रभारी अधिकारी (कमांडेंट)

होमगार्ड प्रशिक्षण केन्द्र,

नागौर।

विषय: एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 21500/2024 श्री

कुलदीप पारासर बनाम राजस्थान राज्य के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्र दिनांक 26.03.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में लंबित उक्त प्रकरण में नियुक्त राजकीय अधिवक्ता श्री सांवर लाल ने पत्र लिखकर अवगत कराया है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक 04.07.2024 के संदर्भ में राज्य सरकार के स्तर पर क्या कार्रवाई की गई है।

उल्लेखनीय है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के उपर्युक्त पत्र के संबंध में कार्यवाही राज्य सरकार स्तर पर विचाराधीन/प्रक्रियाधीन है। अतः

निर्देशानुसार, अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में श्री सांवर लाल, राजकीय
अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को अवगत कराने की कृपा
करें।

कृपया इस पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

भवदीय,

(धर्म सिंह बांकावत)

डिप्टी कमांडेंट"

19. इस प्रकार, उपरोक्त पृष्ठभूमि में, राजस्थान राज्य में होमगार्ड, प्रत्येक तीन महीने
में बिना किसी खंडता के, जो वर्षों से गैर-चक्रीय आधार पर काम कर रहे हैं, "स्वयंसेवक"
के अपने पदनाम के मूल आधार को ही चुनौती दे रहे हैं। वे एक प्रासंगिक प्रश्न उठाते हैं: क्या
वे वास्तव में स्वयंसेवक हैं, या वे केवल एक ऐसे लेबल के नीचे छिपे हुए, जो अब उनकी
सेवा की वास्तविकता को नहीं दर्शाता, भर्ती किए गए सैनिक बन गए हैं? वे अपनी अनिवार्य
निरंतर सेवा अवधि को देखते हुए, उचित वेतन और अन्य लाभ, बेहतर कार्य परिस्थितियाँ,
और नियमित सरकारी पदों पर नियमितीकरण/आमेलन के अवसर चाहते हैं।

19.1. स्वयंसेवा का सार बिना किसी दीर्घकालिक बाध्यता के समय और प्रयास की
स्वैच्छिक पेशकश में निहित है। फिर भी, गैर-चक्रीय होमगार्ड्स के संदर्भ में इस परिभाषा
का हर संभव तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है। कई होमगार्ड दशकों से अथक सेवा कर
रहे हैं। सेवा की यह असाधारण दीर्घायु और उनकी निरंतरता स्वैच्छिक भागीदारी की भूमिका
को राज्य के साथ एक वास्तविक रोजगार संबंध में बदल देती है। राजस्थान होमगार्ड्स
अधिनियम, 1963 और राजस्थान होमगार्ड्स नियम, 1962 के अंतर्गत, उन्हें कई तरह के
कर्तव्य सौंपे गए हैं—कानून और व्यवस्था बनाए रखना, नागरिक आपात स्थितियों का

प्रबंधन करना, बचाव सेवाएँ प्रदान करना, ग्रुप-सी और डी पदों पर आवश्यक बुनियादी ढाँचे/कार्यालयों का संचालन करना, कार्यालयिक कार्यों में सहायता करना, सामाजिक कल्याण योजनाओं में सहयोग करना, और महानिदेशक या सरकार द्वारा सौंपे गए किसी भी अतिरिक्त कार्य को पूरा करना। ये ज़िम्मेदारियाँ गौण नहीं हैं; ये राज्य की लोक कल्याण और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली की रीढ़ हैं। यदि राज्य उनके श्रम पर इतना अधिक निर्भर करता है, तो वह उन्हें नियमित कर्मचारियों को दी जाने वाली सुरक्षा और सम्मान प्रदान करने में विफल क्यों है? उनकी सेवा अल्पकालिक रूप से स्वतंत्र रूप से की जाने वाली कोई पसंद नहीं है; यह एक सतत प्रतिबद्धता है जिस पर राज्य निर्भर हो गया है, फिर भी वह पर्याप्त मुआवजा देने से इनकार करता है। इस प्रकार, यह दावा कि होमगार्ड अब स्वयंसेवक नहीं, बल्कि अनिवार्य सैनिक हैं, शोषणकारी परिस्थितियों में सेवा करने के लिए मजबूर हैं, सत्य प्रतीत होता है।

19.2. राजस्थान के होमगार्डों द्वारा झेली जाने वाली कार्य परिस्थितियाँ उपरोक्त स्थिति को और स्पष्ट करती हैं। जहाँ नियमित सरकारी कर्मचारी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक एक मानक कार्यदिवस का आनंद लेते हैं, जिसमें सप्ताह में दो दिन की छुट्टी भी शामिल है, वहीं होमगार्डों को बिना किसी अवकाश या अवकाश के 10-12 घंटे की पारी में काम करना पड़ता है। ऐसी असमानताएँ एक चिंताजनक वास्तविकता को उजागर करती हैं: राज्य होमगार्डों का एक लागत-प्रभावी श्रम बल के रूप में शोषण कर रहा है, और उन्हें पर्याप्त सुरक्षा, पारिश्रमिक, नौकरी की सुरक्षा या सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ दिए बिना उनके समर्पण का लाभ उठा रहा है। जो लोग अपना जीवन जनता की सेवा में समर्पित करते

हैं—अक्सर बड़े व्यक्तिगत त्याग के साथ—उनके साथ ऐसा व्यवहार न केवल अनुचित है, बल्कि असह्य भी है।

20. अतएव, याचिका में की गई प्रार्थना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं लगती; बल्कि यह सेवा के वर्षों का सम्मान करने का एक युक्तियुक्त उपाय है। आयु में शिथिलता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई होमगार्ड अपने लंबे कार्यकाल के कारण सरकारी नौकरियों के लिए मानक आयु सीमा पार कर चुके होंगे। उन्हें यह छूट देने से समान अवसर मिलेंगे, जिससे उन्हें अपने समर्पण के लिए दंडित किए जाने के बजाय अपने अनुभव के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा। इसी तरह, बोनस अंक या वरीयता उनकी विशेषज्ञता को पुरस्कृत करेगा, जिससे उन्हें नियमित रोजगार प्राप्त करने का उचित अवसर मिलेगा। होम गार्ड्स के लिए पद आरक्षित करना या वैकल्पिक रूप से उन्हें नियमित आधार पर आमेलित करना स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त करेगा।

20.1. दिनांक 03.08.2013 के विज्ञापन के अनुसरण में वर्तमान चयन प्रक्रिया में उपरोक्त तात्कालिक उपचारों के अलावा, याचिकाकर्ता राज्य सरकार से होमगार्डों की बेहतरी के लिए नियम, नीतियाँ या दिशानिर्देश बनाने का भी आग्रह करते हैं, जैसे कि नियमितीकरण/आमेलन, यानी उनके पदों को उचित वेतन, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और अन्य लाभों के साथ स्थायी सरकारी नौकरियों में परिवर्तित करना। भारत के अन्य राज्यों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में होम गार्ड्स के लिए आरक्षण, आयु में शिथिलता या बोनस अंक प्रदान करके पहले ही उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है।

21. इस स्तर पर, एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 11085/2022: हरि शंकर आचार्य एवं अन्य, राजस्थान राज्य एवं अन्यमें दावा किया गया अनुतोष और विद्वान समन्वय पीठ द्वारा उस मामले में पारित दिनांक 27.01.2025 के विस्तृत आदेश पर ध्यान देना उचित होगा।

22. एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 11085/2022 में प्रार्थना निम्नानुसार है:

क. समुचित रिट, आदेश और निर्देश द्वारा प्रतिवादीगण को चक्रीय प्रणाली को रोकने और याचिकाकर्ताओं को पूरे वर्ष रोजगार प्रदान करने का निर्देश दिया जा सकता है।

ख. समुचित रिट, आदेश और निर्देश द्वारा प्रतिवादीगण को अनावश्यक रूप से विज्ञापन देने और अधिक सदस्यों/होम गार्ड्स की नियुक्ति करने से रोका जा सकता है तथा पहले मौजूदा सदस्यों से पूरे वर्ष का रोजगार लेने के लिए कहा जा सकता है।

ग. समुचित रिट, आदेश और निर्देश द्वारा प्रतिवादीगण को राज्य मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का पालन करने के लिए निर्देशित किया जाए, ताकि मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों/निर्देशों पर ध्यान दिया जा सके और होम गार्ड्स के कामकाज को विनियमित करने के लिए उचित कदम उठाए जा सकें, विशेष रूप से पूरे वर्ष रोजगार प्रदान करने के संबंध में।

घ. कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश और निर्देश जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्य और परिस्थितियों में ठीक और उचित समझे, कृपया याचिकाकर्ताओं के पक्ष में पारित किया जाए।

ड. याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका को कृपया खर्चों के साथ अनुमति दी जाए।

23. उपरोक्त याचिका पर विचार करते हुए, मेरे विद्वान भ्राता, फरजंद अली, जे. की अध्यक्षता वाली इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने अपने आदेश दिनांक 27.01.2025 के तहत कुछ टिप्पणियां करते हुए, निम्नानुसार निर्देश दिए:

"6. मुख्य चिंता होम गार्ड्स की आजीविका को लेकर है। बढ़ती महंगाई से जूझ रहे देश में, इन लोगों को न्यूनतम वेतन दिया जाता है, जो उनके जीवनयापन के लिए अपर्याप्त है। सुसंगत कानून की समीक्षा करने पर, यह सुस्पष्ट है कि होमगार्ड का पद राष्ट्र के संरक्षण, संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। इसके अलावा, जमीनी स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में व्यक्तियों को स्वेच्छा से योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, उनका पारिश्रमिक उनके बुनियादी जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त होना चाहिए।

7. यह न्यायालय मौलिक अधिकारों, विशेषकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, जो जीवन के अधिकार—सम्मानपूर्वक जीवन—की गारंटी देता है, के उल्लंघन इस न्यायालय के संज्ञान में है। न्यायालय ने इस संबंध में चिंता

व्यक्त की है। न्यायालय का मानना है कि यदि गृह विभाग आवश्यक प्रयास करे, तो पुलिस कांस्टेबल्स के साथ-साथ होम गार्ड्स की प्रभावी तैनाती की जा सकती है। इस न्यायालय की राय में, एक स्थायी पुलिस कांस्टेबल के स्थान पर दो होमगार्ड तैनात करने से राज्य को महत्वपूर्ण बचत होगी। इसका अर्थ है कि दो होम गार्ड्स की लागत एक स्थायी कांस्टेबल की लागत से कम होगी और साथ ही, पुलिस कांस्टेबल्स को उन स्थानों पर तैनात किया जा सकेगा जहाँ उनकी सेवाओं की तत्काल आवश्यकता है।

XXX XXX XXX XXX

11. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में, राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव को एतद्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे इस मामले की व्यापक जाँच करने और इस न्यायालय द्वारा आगामी अनुच्छेदों में व्यक्त सभी पहलुओं, मुद्दों और सुझावों पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करें। समिति, आवश्यकतानुसार सभी पंजीकृत होम गार्ड्स की तैनाती या उनकी संख्या में वृद्धि पर भी विचार करेगी और इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगी। इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

12. समिति को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मुद्दों और सुझावों पर विचार-विमर्श करने का निर्देश दिया जाता है:-

- (क) योजना और व्यवहार्यता: समिति होम गार्ड्स की बढ़ी हुई संख्या को 100% रोजगार या तैनाती प्रदान करने की व्यवहार्यता का पता लगाएगी और उसका मूल्यांकन करेगी।
- (ख) उत्तर प्रदेश मॉडल का अध्ययन: समिति उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा होम गार्ड्स के लिए अपनाए गए तैनाती मॉडल का अध्ययन करेगी और राजस्थान में इसके कार्यान्वयन का आकलन करेगी। इस प्रयोजन के लिए, समिति उत्तर प्रदेश के गृह एवं होमगार्ड विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से सहायता ले सकती है।
- (ग.) डिजिटल तैनाती प्रणाली: चूंकि उत्तर प्रदेश में तैनाती का प्रबंधन ऑनलाइन कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से किया जाता है, इसलिए समिति राजस्थान राज्य के लिए इसी प्रकार का प्रोग्राम विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के साथ समन्वय करेगी।
- (घ.) स्थायी वित्तीय अनुमोदन: समिति यह सुनिश्चित करेगी कि होम गार्ड्स की तैनाती और रोजगार के लिए स्थायी वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया जाए।
- (ङ.) पुलिस स्टेशन आवंटन: रात्रि गश्त, कानून व्यवस्था बनाए रखने और अदालती समन तामील जैसे कार्यों में सहायता के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन को एक निश्चित संख्या में होमगार्ड आवंटित किए

जाने चाहिए। परिणामस्वरूप, प्रत्येक पुलिस स्टेशन के लिए अतिरिक्त होमगार्ड स्वीकृत किए जाने चाहिए। समिति प्रत्येक पुलिस स्टेशन के लिए पुलिसकर्मियों और होम गार्ड्स के एक निश्चित अनुपात की सिफारिश करेगी।

(च.) यातायात प्रबंधन: यातायात प्रबंधन में सहायता के लिए पुलिस कर्मियों के साथ-साथ निर्धारित संख्या में होमगार्ड तैनात किए जाने चाहिए।

(छ) सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा ड्यूटी: अस्पतालों, बैंकों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, मॉल और इसी तरह के सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ होम गार्ड्स की भी सुरक्षा ड्यूटी लगाई जानी चाहिए। इससे पुलिस थानों में अधिक प्रशिक्षित पुलिसकर्मी उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे कर्मचारियों की कमी से उत्पन्न कार्यभार कम होगा।

(ज) जिला स्तर पर स्वीकृति: एक समान तैनाती और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले में होमगार्ड के लिए पद स्वीकृत किए जाने चाहिए।

(झ.) नियमित तैनाती की व्यवस्था: उपरोक्त सुझावों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समिति एक ऐसी व्यवस्था बनाएगी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सेवा करने के इच्छुक सभी पंजीकृत होमगार्डों

को हर महीने एक निश्चित संख्या में दिनों के लिए तैनाती दी जाए।

इससे होम गार्ड्स को साल भर रोजगार मिल सकेगा।

(ज.) वित्तीय सहयोग: वित्त विभाग अपना सहयोग प्रदान करेगा

तथा इस न्यायालय द्वारा वर्तमान आदेश में व्यक्त आशय के

अनुरूप आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान करेगा।

13. प्रतिवादी को नए स्वयंसेवकों/आकांक्षियों को पंजीकृत करने से कोई नहीं
रोकेगा। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 16.10.2024 के आदेश द्वारा
लगाई गई रोक वर्तमान में वापस ली जाती है।

14. मुख्य सचिव या विशेषज्ञ समिति को यह भी निर्देश दिया जाता है कि यदि
आवश्यकता पड़े तो इस न्यायालय की सहायता के लिए एक समन्वयक
नियुक्त करें। उपर्युक्त समिति, अपने नियुक्त समन्वयक के माध्यम से,
1.04.2025 को या उससे पहले इस न्यायालय को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत
करेगी। यह रिपोर्ट श्री बी.एल. भाटी, अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) और
श्री दीपक चांडक, सहायक अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) के माध्यम से
प्रस्तुत की जाएगी, जो प्रायः राजस्थान राज्य के गृह विभाग की ओर से पेश
होते हैं।

24. इस न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसरण में, राजस्थान सरकार के गृह
विभाग द्वारा जारी दिनांक 12.02.2025 के कार्यालय आदेश के अनुसार एक विशेषज्ञ
समिति का गठन किया गया है:

- (i) महानदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा (महानिदेशक और कमांडेंट-जनरल, होम गार्ड्स) अध्यक्ष।
- (ii) महानिरक्षक, गृह रक्षा (महानिरीक्षक, होम गार्ड), सदस्य
- (iii) शासन उप-सचिव गृह (आ. प्र.) [सरकार के उप सचिव, होम गार्ड्स], सदस्य
- (iv) वित्तीय सलाहकार, गृह रक्षा (वित्तीय सलाहकार, होम गार्ड) सदस्य
- (v) वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी-II, गृह रक्षा (होमगार्ड), सदस्य सचिव

25. यह ज्ञात है कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट, जिसे 01.04.202 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना था, अभी तक न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।

26. एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 11085/2022 में चाहे गए अनुतोष और वर्तमान याचिका में चाहे गए अनुतोष को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि वर्तमान याचिका में चक्रानुक्रमिक होमगार्ड्स के संबंध में दावा या तो इसके अंतर्गत आता है और इसमें शामिल है या अन्यथा कमोबेश एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 11085/2022 में दावा की किये गए अनुतोष के समान या सारतः समान है, सिवाय वर्तमान याचिका के उस विशिष्ट दावे के जिसमें विशेष रूप से आयु में शिथिलता/बोनस/अन्य प्रकार की वरीयता प्रदान करने या अनुबंध-4 द्वारा अधिसूचित चतुर्थ श्रेणी (समूह घ) कर्मचारियों के 52,453 पदों को भरते समय होमगार्ड्स के लिए कुछ निश्चित पदों को आरक्षित करने का दावा किया गया है। इस आधार पर, न्यायिक अनुशासन और औचित्य के कारणों से, इस पीठ के लिए वर्तमान

याचिका में दावे के गुणावगुण पर एक साथ विचार करना और उस पर कोई राय व्यक्त करना उचित नहीं होगा।

27. इस मामले के परिप्रेक्ष्य में, यह उचित होगा कि उपर्युक्त विशेषज्ञ समिति से अनुरोध किया जाए कि वह गैर-चक्रानुक्रमिक होम गार्ड्स (अनुलग्नक-4 द्वारा अधिसूचित चतुर्थ श्रेणी/समूह-घ कर्मचारियों के 52,453 पदों को भरने से संबंधित विशिष्ट दावे सहित) के संबंध में वर्तमान याचिका में किए गए दावे पर विचार करके एक अन्य रिपोर्ट तैयार करके राज्य सरकार को प्रस्तुत करे। प्रस्तावित रिपोर्ट चयन प्रक्रिया के भाग के रूप में आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा की तिथि से कम से कम एक माह पूर्व प्रस्तुत की जाए (विज्ञापन के अनुसार लिखित परीक्षा की प्रस्तावित तिथि 18.09.2025 से 21.09.2025 है)।

28. मैं यहाँ यह जोड़ना चाहूँगा कि अनुलग्नक-4 द्वारा अधिसूचित चतुर्थ श्रेणी/समूह घ के 52,453 पदों को भरते समय होम गार्ड्स को आयु में शिथिलता/बोनस/अन्य प्रकार की वरीयता प्रदान करने या उनके लिए कुछ निश्चित संख्या में पद आरक्षित करने के विनिर्दिष्ट दावे के संबंध में, ऐसा प्रतीत होता है कि इस न्यायालय द्वारा प्रत्येक होमगार्ड के व्यक्तिगत मामले की आवश्यक रूप से पुष्टि किए बिना इस पर अन्यथा निर्णय नहीं दिया जा सकता है ताकि सरकार के अधीन पदों पर भर्ती में होम गार्ड्स को आयु में शिथिलता/बोनस/अन्य प्रकार की वरीयता प्रदान की जा सके या उनके लिए कुछ निश्चित संख्या में पद आरक्षित किए जा सकें। तदनुसार, इसे समिति की विशेषज्ञता के लिए खुला छोड़ देना ही बेहतर है, पूर्वोक्त।

निष्कर्ष:

29. निष्कर्षतः, समूह-ग और घ के पदों पर कार्यरत गैर-चक्रानुक्रमिक होम गार्ड्स को "स्वयंसेवक" के झूठे लेबल के तहत फँसाया और छुपाया गया है। वास्तव में, वे ऐसे कर्मचारी हैं जिनका वर्षों से बिना किसी उचित मान्यता या अधिकार के शोषण किया जा रहा है। कुछ ने तो लगातार 20 वर्षों तक सेवा की है, जो स्वयंसेवा के किसी भी भ्रम को तोड़ देता है, और उन्हें केवल कर्मचारी बना देता है, न कि केवल त्यागने योग्य स्वयंसेवक।

30. राज्य भी इन होम गार्ड्स पर पूरी तरह निर्भर है। वे कानून-व्यवस्था बनाए रखते हैं, गुप-सी और डी के पदों पर काम करते हैं, आपदाओं का प्रबंधन करते हैं, कल्याणकारी योजनाओं में सहायता करते हैं और अनगिनत महत्वपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं—और ये सब एक भी छुट्टी की गारंटी के बिना 12 घंटे की पारी में काम करते हुए, एक कठोर वास्तविकता है जिससे नियमित सरकारी कर्मचारी भी अछूते हैं। जीवन भर की सेवा के बदले में उनका तथाकथित मानदेय नगण्य है। उन्हें "स्वयंसेवक" कहना उनके व्यवस्थित शोषण को छुपाता है, जिससे राज्य को उनके श्रम से लाभ कमाने का मौका मिलता है, जबकि उन्हें वे अधिकार, संरक्षण या सुरक्षा प्रदान नहीं किए जाते जिनके वे हकदार हैं।

31. यह बेहद निराशाजनक है कि होमगार्डों के साथ दिहाड़ी मज़दूरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता है। अन्य राज्यों ने अपने होम गार्ड्स को मान्यता दी है और उनका उत्थान किया है; राजस्थान द्वारा की गई निरंतर उपेक्षा अक्षम्य है। तत्काल सुधार राज्य द्वारा बनाई जाने वाली नीतिगत और कानूनी अनिवार्यता है। जब तक राज्य इस ढोंग को बंद नहीं करता, ये होमगार्ड स्वयंसेवक नहीं, बल्कि केवल पीड़ित ही बने रहेंगे!

32. विज्ञापन (अनुलग्नक-4) से पता चलता है कि चतुर्थ श्रेणी/समूह-घ के 52,453 पदों पर भर्ती हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19.04.2025 है, जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब इसके लिए बहुत कम समय बचा है। तात्कालिकता को देखते हुए, यह प्रतिवादीगण के प्रज्ञान और प्रशासनिक विवेक पर निर्भर करता है कि वे अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, उचित और युक्तिमान समझे जाने वाले अंतरिम उपाय करने की व्यवहार्यता की जाँच करें और चतुर्थ श्रेणी/समूह-घ के 52,453 पदों को भरने के संबंध में होमगार्ड्स के दावे का समाधान करें।

33. उपर्युक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, रिट याचिका का निपटारा निम्नानुसार किया जाता है:

क.) यह निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादीगण तत्काल उचित कदम उठाएंगे, जिसके तहत उन्हें मामले को विशेषज्ञ समिति (समन्वय पीठ द्वारा पारित दिनांक 27.01.2025 के आदेश के अनुसरण में गठित) के समक्ष रखना होगा, जो नीति तैयार करने के लिए राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाने वाली एक उपयुक्त योजना तैयार करेगी।

ख.) यह भी निर्देश दिया जाता है कि समिति आयु में शिथिलता/बोनस/अन्य प्रकार की वरीयता के संबंध में अपनी योजना/रिपोर्ट तैयार करते और प्रस्तुत करते समय या अनुलग्नक-4 के तहत अधिसूचित चतुर्थ श्रेणी (समूह-घ) कर्मचारियों के 52,453 पदों को भरते समय होमगार्ड के लिए कुछ निश्चित पदों को आरक्षित करते समय तत्काल याचिका में दावे पर भी विचार करेगी।

34. लंबित आवेदन कोई हो, निस्तारित माने जाते हैं।

35. समापन से पूर्व, यह उचित समझा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों (पूर्वोक्त) और ऊपर दिए गए विचार-विमर्श के आलोक में, विशेषज्ञ समिति के हित में कुछ दिशानिर्देश निकाले/तैयार किए जाएँ, जिन्हें होम गार्ड्स के दावे पर समग्र निर्णय लेते समय, विशेष रूप से उन होम गार्ड्स के संदर्भ में जो निरंतर बिना किसी व्यवधान के गैर-चक्रानुक्रम आधार पर, बिना किसी खंडता के, दीर्घ वर्षों से कार्यरत हैं, का ध्यान रखा जाएगा :-

दिशानिर्देश:

1. निरंतर तैनाती से रोजगार की प्रकृति बदल जाती है:

यदि स्वैच्छिक आधार पर प्रारंभ से नियुक्त होमगार्ड एक बढ़ाई गई अवधि (वर्षों) से अधिक के लिए लगातार तैनात रहते हैं, तो उनकी प्रास्थिति को नियमित किया जाना चाहिए। एक बार जब उनकी नियुक्ति की प्रकृति कार्य करने के माध्यम से स्थायी हो जाती है, तो प्राधिकारी उन्हें स्वयंसेवक के रूप में नहीं मान सकते। जिन होम गार्ड्स ने नियमित प्रकृति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए लंबी अवधि (इस मामले में 10 से 20 वर्ष) तक लगातार सेवा की है, उन्हें या तो नियमित स्थापना में आमेलित किया जाना चाहिए या उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि के आधार पर आयु में शिथिलता के साथ बोनस अंकों का लाभ दिया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में नियमितीकरण नई नियुक्तियों का गठन नहीं करता है, जिससे नए चयन या आरक्षण नीति की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

2. समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया जाना चाहिए:

ग्रुप-सी और डी सेवा में अपने नियमित समकक्षों के समान कर्तव्यों का पालन करने वाले और समान परिस्थितियों में ड्यूटी करने वाले होम गार्ड्स को अंशकालिक, अस्थायी या स्वैच्छिक कार्यकर्ता के रूप में उनके प्रारंभिक पदनाम के बावजूद समान वेतन और लाभ प्रदान किए जाने चाहिए।

3. योजना के कार्यान्वयन की निगरानी का सरकार का कर्तव्य:

जब होमगार्ड योजना स्वैच्छिक रूप से बनाई गई है/गई थी, तो संबंधित सरकार की यह ज़िम्मेदारी है कि वह निर्धारित तरीके से इसका उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करे। निगरानी में विफलता या इसे गैर-स्वैच्छिक बनाने का इस्तेमाल बाद में होम गार्ड्स के अधिकारों को नकारने के बचाव के तौर पर नहीं किया जा सकता।

4. तकनीकी बचाव मूल अधिकारों को पराजित नहीं कर सकते:

सरकारों को होम गार्ड्स को वैध लाभ से वंचित करने के लिए प्रक्रियात्मक या तकनीकी बचाव (जैसे रोजगार की प्रारंभिक स्वैच्छिक प्रकृति) का उपयोग नहीं करना चाहिए, जिनकी कार्य की वास्तविक स्थितियां नियमित रोजगार संबंध स्थापित करती हैं।

5. सेवा मामलों में मौलिक अधिकारों की मान्यता:

अनुच्छेद 14 और 16 (समता और समान अवसर) के अंतर्गत संवैधानिक संरक्षण

होम गार्ड्स पर भी पूरी तरह लागू होती है। इस प्रकार, समान पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के बीच कोई भी भेदभाव असंवैधानिक है, यहाँ तक कि गैर-नियमित या स्वैच्छिक योजना-आधारित नियुक्तियों में भी।

6. तैनाती प्राधिकारियों की जवाबदेही:

तैनात होम गार्ड्स पर नियंत्रण रखने वाले परिचालन प्राधिकारियों को निरंतर तैनाती के परिणामों की भी ज़िम्मेदारी लेनी होगी, जिसमें परिणामी नियोजन अधिकारों को मान्यता देना भी शामिल है। राज्य के नियंत्रण में दीर्घकालिक, निरंतर सेवा को प्रभावी रूप से स्थायी नियोजन माना जाना चाहिए।

36. उपर्युक्त दिशानिर्देश निष्पक्षता, समता सुनिश्चित करने में बहुत सहायक होंगे, तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा *पश्चिम बंगाल राज्य बनाम पंथा चटर्जी* तथा उसके बाद *भारत संघ बनाम पारुल देबनाथ* मामले में दिए गए आदेश के अनुरूप होंगे, ताकि लंबे समय से सेवारत होमगार्डों का एक बार नियमितीकरण लंबे समय से सेवारत संविदा कर्मचारियों के समान किया जा सके, जिन्हें आमेलन/नियमितीकरण का समान लाभ दिया जाता है।

37. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ निस्तारित किया जाता है।

(अरुण मोंगा), जे

180-आरमाथुर/-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है : हाँ / नहीं

-
- 1 (2003) 6 एससीसी 469
 2. (1988) 3 एससीसी 354
 3. (1986) 1 एससीसी 637
 4. (1988) 1 एससीसी 122
 5. (2009) 14 एससीसी 173
-

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी